ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.13 से 31.03.16

भाग-एक

1 (क) प्रस्तावना :- ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी , विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति रजनी देवी चौधरी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति अनीता धीमान	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री देश राज	01.04.13 से 01.01.14
2	श्री मदन लाल	01.01.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.04
2	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	0.13
३	6	अनुदान का उपयोग न करना	5.51
4	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक	2.38

		स्टोर का क्रय करना	
5	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	2.67

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी , विकास खण्ड बैजनाथ , जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार , आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 05.08.16 से 09.08.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमश: माह 12/13, 12/14, 4/15 व 12/13, 4/14, 2/16 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 178 दिनांक 09.08.16 द्वारा अनुरोध किया गया , जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 81 3900 (KCCB Panchrukhi) दिनांक 20.08.16 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के

अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वित्तीय **स्थिति निम्न प्रकार से थी :-**

(1) स्वः स्त्रोत :- ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय **स्थिति का विवरण :-**

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	162381	3825	166206	10910	155296
2014-15	155296	28450	183746	10722	173024
2015-16	173024	7315	180339	5718	174621

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	224851	1825930	2050781	1786247	264534
2014-15	264534	1048552	1313086	870985	442101
2015-16	442101	1076797	1518898	968153	550745

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्वः स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 174621

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 550745

योग : ₹ 725366

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 721193

हस्तगत राशि : ₹ 145

योग : ₹ 721338

अन्तर : ₹ 4028

बैंक खाता संख्या	राशि
MNREGA, KCCB – 2310	0
VKNY, HDFC - 0383	16761.00
MP, HDFC -0349	11095.00
IAY, HDFC - 0270	0
RAY/AAY, HDFC - 0366	9546.00
13TH F.C- HDFC - 0393	50404.05
General, Own Source, HDFC - 0359	126144.08
General, Own Source, KCCB – 5031	507243.00

कुल राशि	721193.13

4.2 **रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹4028/- के अन्तर बारे :-**

(क) जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, VKNY, MP, SBM, SDP **एवं 13TH** FC **की रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था , जिस कारण से दिनांक 31.03.16 को ₹2007/- का अन्तर पाया गया जिसका विवरण निम्न लिखित है :**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वही का शेष :	दिनांक 31.03.16 को बैंक में शेष :
General Fund : ₹ 539178/-	HDFC–0383 : ₹ 16761.00
Own Source Fund : ₹ 174621/-	HDFC-0349 : ₹ 11095.00 HDFC -0393 : ₹ 50404.05 HDFC–0359 : ₹ 126144.08 KCCB–5031 : ₹ 507243.00 Cash in Hand: ₹ 145.00
Total ₹713799	₹711792.13

अतः उक्त अन्तर की राशि ₹2007/- बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

(ख) जांच में पाया कि पंचायत में मनरेगा के खाता संख्या KCCB-**2310 में दिनांक 31.03.16 को जमा राशि शून्य थी जबकि रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.03.16 को ₹2021/- था। अतः बैंक में कम जमा का राशि ₹2021/-बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।**

4.3 **रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-**

ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना

सुनिश्चित किया जाए।

4.4 **पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :-**

जांच में पाया कि पंचायत के अधिकतर खाते निजी बैंक एचडीएफ़सी बैजनाथ में खोले गए थे जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/91-V दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि राज्य सहकारी बैंक में जमा की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें व उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सहकारी बैंक की नजदीक शाखा में पंचायत की राशि को जमा करना सुनिश्चित करें।

4.5 **नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना :-**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता -क एवं खाता -ख के रूप में नहीं रखा गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को स्व: स्त्रोत खाता-क व अनुदानों की प्राप्ति व व्यय का रख रखाव खाता -ख में किया जाना सुनिश्चित करें।

4.6 जांच में पाया कि पंचायत के नाम बैंक खाता संख्या 11068573370 (SBI-Panchrukhi) में दिनांक 31.03.16 को ₹43589.65 जमा थे लेकिन इस खाते का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के भविष्य में दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.13 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :- yk**

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.09 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है व इसकी मांग न कर पंचायत को ब्याज के रूप में हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग

नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹12500 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013-14	4480	6520	11000	0	11000
2014-15	11000	6900	17900	10480	7420
2015-16	7420	6900	14320	1820	12500

2 भू- राजस्व की वसूली न करना :-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 एवं 2015-16 में में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 <u>अनुदान ₹ 5.51 लाख का उपयोग न करना</u> :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹550745 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-2" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन

तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

8 <u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.38 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) , 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-3" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹237770 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुरूप न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जए।

9 <u>क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में ₹2.67 लाख न करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹267290 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10 <u>एक ही अवधि में निर्माण सामग्री का क्रय अलग-2 दरों पर करना :-</u>

जांच में पाया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2013-14 में सामान्य निधि से किए गए कार्यों हेतु आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज लता देवी को बोल्डर की आपूर्ति हेतु भुगतान ₹25/- प्रति घन फीट

से किया गया था जबकि मनरेगा के कार्यों हेतु ₹20 प्रति घन फीट से किया गया था। उदाहरण के रूप में जनरल निधि के वाउचर संख्या 64 दिनांक 07.12.13 में मैसेर्ज लता देवी को बोल्डर की आपूर्ति का भुगतान ₹25/- प्रति घन फीट से किया गया था जबकि मनरेगा के वाउचर संख्या 36 दिनांक 24.09.13 में मैसेर्ज लता देवी को बोल्डर की आपूर्ति का भुगतान ₹20/- प्रति घन फीट से किया गया था। अतः एक ही अवधि में अलग-2 दरों पर क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा वर्ष 2013-14 में पंचायत द्वारा अधिक दरों पर किए गए अनुचित/अधिक भुगतान की गणना संस्था स्तर पर करके वसूली करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में निविदाएँ आमंत्रित करके समान न्यूनतम दरों पर क्रय करना सुनिश्चित करें।

11 (क) <u>आपूर्तिकर्ताओं को एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात ₹66120 भुगतान करने बारे :-</u>

जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज लता देवी द्वारा पंचायत में मनरेगा के विभिन्न कार्यों हेतु "परिशिष्ट-5" में दिए गए विवरणानुसार ₹66120 निर्माण सामग्री की आपूर्ति माह 12/2013 में की गई थी जबकि भुगतान 02/2015 एवं 08/2015 को किया गया था अर्थात आपूर्ति के एक वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

(ख) मैसेर्ज लता देवी द्वारा पंचायत में मनरेगा के विभिन्न कार्यों हेतु निर्माण सामग्री की आपूर्ति के बिलों की जांच में पाया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा परिशिष्ट-5 में दिए गए विवरणानुसार बिल संख्या 316 दिनांक 19.12.13 को जारी किया था जबकि बिल संख्या 317 दिनांक 03.12.13 को जारी किया गया था। इसी प्रकार बिल संख्या 250 दिनांक 16.06.13 को जारी किया था जबकि बिल संख्या 238 से 248 दिनांक 26.12.13 को जारी किया गए थे। अतः इस प्रकार बाद के क्रमांक के बिल पहले जारी करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त क्रय एवं भुगतान में भारी अनियमिततायेँ की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

12 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-</u>

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर

4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।

5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना

6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना

7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना

13 315 किलोग्राम अनाज के अन्तशेष बारे :-

जांच में पाया कि सामान्य भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 65 व 67 पर दिनांक 03.09.2001 एवं 29.10.01 से 315 किलोग्राम अनाज (चावल) की मात्रा दर्ज थी जिसे आज तक भण्डार रजिस्टर से जारी नहीं किया गया था , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा 315 किलोग्राम अनाज (चावल) की वर्तमान दरों पर उचित स्त्रोत से वसूली करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपति विवरणिका :-

इसे अलग से जारी नहीं किया गया तथा लघु आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

16 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(2) 27/2016–खण्ड–1–5501–5504 दिनाँकः 17.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत टिकरी डूहकी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी

करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.